**भारत सरकार**

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय**

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न सं0 1092**

**दिनांक 19 दिसम्‍बर, 2018**

**निजी क्षेत्र द्वारा मार्किटिंग मार्जिन का**

**अधिरोपण**

**1092. श्री नरेन्द्र कुमार स्वैनः**

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड ने प्राकृतिक गैस के निजी क्षेत्र के विक्रेताओं द्वारा उगाही गई मार्किटिंग मार्जिन के मुद्दे के संबंध में कोई निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गए हैं?

**उत्तर**

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री**

**(श्री धर्मेन्द्र प्रधान)**

(क) और (ख): पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (पीएनजीआरबी) ने देश में निजी कंपनियों के क्षेत्रों सहित घरेलू क्षेत्रों से उत्‍पादित प्राकृतिक गैस के यूरिया और एलपीजी उत्‍पादकों को, बिक्री पर विपणन मार्जिन के संबंध में अपनी सिफारिशें प्रस्‍तुत कर दी हैं। तत्‍पश्‍चात, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय सहित विभिन्‍न मंत्रालयों/विभागों के साथ अंतरमंत्रालयी परामर्श के बाद, सरकार ने अधिकतम 200 रुपए प्रति 1000 मानक घनमीटर (एससीएम)  [10000 केसीएएल/एससीएम की निवल कैलोरिफिक वैल्‍यू की दर पर] तक विपणन मार्जिन अनुमोदित किया है जिसकी उगाही देश के भीतर उत्‍पादित की जा रही और देश में उर्वरक (यूरिया) और एलपीजी उत्‍पादकों को आपूर्ति की जा रही गैस पर की जा सकती है।

**\*\*\*\***